सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075
दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200

भाराराप्रा/ नीति दिशानिर्देश /वित्त एवं लेखा/ 2026
नीति परिपत्र सं. 3.3.36 / 2026 दिनांक 09th मई, 2026

{(ई-ऑफिस फाइल सं.NHAI/F&A/GST/CLARIFICATION-REPLY-Part (1)(कम्प्युटर सं. 220364 पर लिया गया निर्णय)}

NHAI/ Policy Guidelines/ Finance & Accounts /2026
Policy Circular No. 3.3.36/ 2026 dated 09th May,2026

{(Decision taken on E-Office File No.NHAI/ F&A/ GST/ CLARIFICATION-REPLY-Part (1) (Comp No. 220364)}

विषय: नीति परिपत्र संख्या 3.3.26/2022 दिनांक 24 नवंबर 2022 के माध्यम से जारी नियम में परिवर्तन के तहत ईपीसी परियोजनाओं के मामले में संचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) व्यय पर जीएसटी की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण का परिशिष्ट के संबंध में ।

Sub: Addendum to Clarification regarding calculation of GST on the Operation & Maintenance (O&M) expenses in case of EPC projects under Change in Law issued vide Policy Circular No.3.3.26/2022 dated 24th November 2022 - reg.

उपरोक्त संदर्भित विषय के अनुसरण में, भाराराप्रा ने अपने नीति परिपत्र संख्या 3.3.26/2022 के माध्यम से नियम में परिवर्तन के तहत ईपीसी परियोजनाओं के मामले में सड़क निर्माण की गतिविधि पर 18.07.2022 से दरों में परिवर्तन के विरुद्ध जीएसटी की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है।

In pursuance of above referred subject, NHAI vide its Policy Circular No. 3.3.26/2022 have issued clarification regarding calculation of GST against change in rates from 18.07.2022 on the activity of construction of Road in case of EPC Projects under Change in Law.

2. उपरोक्त परिपत्रों के क्रम में, ईपीसी परियोजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) घटक पर जीएसटी की प्रयोज्यता के संबंध में निम्नलिखित को और स्पष्ट किया जाता है:

In continuation of the above Circulars, the extent of applicability of GST on Operation & Maintenance (O&M) component of the EPC Projects following is further clarified:

Contd.....2/-

(i). जहां परियोजना के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि 30.06.2017 या उससे पहले थी:
Where Bid due date of the Project was on or before 30.06.2017:

जिन परियोजनाओं के लिए बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 30.06.2017 या उससे पहले थी, उनके संबंध में निम्नलिखित दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं:
For the Projects where the last date of submission of Bids was on or before 30.06.2017, there may arise following two situations:

a. 17.07.2022 को या उससे पहले पूर्ण किए गए संचालन एवं अनुरक्षण कार्य (कर की दर में परिवर्तन से पहले), या
O&M work completed on or before 17.07.2022 (before Change in Rate of Tax), or

b. 18.07.2022 को या उसके बाद पूर्ण किए गए संचालन एवं अनुरक्षण कार्य (कर की दर में परिवर्तन के बाद)
O&M work completed on or after 18.07.2022 (after Change in Rate of Tax)

उपरोक्त दोनों स्थितियों में, मौजूदा अनुलग्नक -I के आधार पर ईपीसी परियोजना के लिए गणना किया गया सीआईएल प्रतिशत, संचालन और अनुरक्षण व्यय पर निम्नलिखित तरीके से लागू होगा:
Under both the above situations, the CIL percentage computed for the EPC Project based on the existing **Annexure-I** shall apply to O&M expenses in the following manner:

a. 17.07.2022 तक निष्पादित परियोजना के जीएसटी-पश्चात कार्य के लिए परिकलित सीआईएल प्रतिशत 17.07.2022 तक जारी किए गए सभी ओएंडएम चालानों पर लागू होगा।
The CIL percentage computed for the Project's post-GST work executed up to 17.07.2022 shall apply to all O&M invoices raised up to 17.07.2022.

b. 17.07.2022 के बाद निष्पादित परियोजना के जीएसटी-पश्चात कार्य के लिए परिकलित सीआईएल प्रतिशत 17.07.2022 के बाद जारी किए गए सभी ओएंडएम चालानों पर लागू होगा।
The CIL percentage computed for the Project's post-GST work executed after 17.07.2022 shall apply to all O&M invoices raised after 17.07.2022.

(ii). जिन परियोजनाओं के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि 16.06.2021 या उसके बाद थी, वे इस प्रकार हैं :-
Projects where bid due date was on or after 16.06.2021:-

16.06.2021 से, निविदाएं GST रहित आमंत्रित की गई थीं, और इस कारण, GST लागू दरों पर देय है।
Since 16.06.2021, the bids were invited exclusive of GST and hence, GST is payable at the applicable rates.

Contd.....3/-

3. ऊपर दिए गए सभी उदाहरण केवल दृष्टांत के तौर पर हैं। पीआईआई को सलाह दी जाती है कि वे जीएसटी देयता गणना फाइल केवल पैरा-2(i) के लिए भाराराप्रा मुख्यालय के जीएसटी सेल को जीएसटी परामर्शदाता /लेखा परीक्षक द्वारा आगे की जांच और सत्यापन के लिए भेजें। हालांकि, नियम में परिवर्तन के तहत सभी भुगतान संबंधित पीआईआई द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अनुमोदन से ही जारी किए जाएंगे।

All the above illustrations given are for the purposes of example only. The PIUs shall be advised to send the GST liability calculation file only for Para-2(i) to GST cell, NHAI HQ for further scrutiny and vetting by GST Consultant/ Auditor. However, all Payments under Change in Law shall be released by respective PIUs with approval of RO concerned.

4. संदर्भित परिपत्रों के अंतर्गत किए गए सभी विचार-विमर्श उपरोक्त संशोधनों को छोड़कर अपरिवर्तित रहेंगे।

All the deliberation made under referred circulars remain unchanged except as above.

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

09/05/26

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
   Library for hosting the Circular on Library site.

2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
   Web Admin for Circulation.

3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
   PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.